






Order Sheet [Contd]

Case No.

3/14 3rd of 20.....

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
09-12-17	<p>प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.12.17 में पेश। परिवादी सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री विकास कांकर। प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।</p> <p>उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, परिवादी के राजीनामा आवेदन पत्र मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री विकास कांकर द्वारा की गयी।</p> <p>उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>परिवादी ने राजीनामा आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि उसने अभियुक्त की पुत्री की तबियत खराब होने से कम रुपये में राजीनामा हेतु सहमति तैयार हुई है। अभियुक्त की स्थिति को देखते हुए कम राशि न्यायालय के बाहर प्राप्त कर लिए हैं, अन्य राशि में से कुछ लेना देना शेष नहीं है। अभियुक्त गरीबी में जीवन यापन कर रहा है इस कारण से राजीनामा करना चाहते हैं। अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।</p> <p>अभियुक्त पर धारा 138 एनआई0 एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं।</p> <p>न्यायदृष्टांत दामोदर एस.प्रभु विरुद्ध सैयद बाबा लाल ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1907 तीन न्याय मूर्ति गण की पीठ के मामले में समझौते पर निम्नानुसार परिचय लगाने के निर्देश दिये हैं :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. यदि अभियुक्त प्रकरण का सूचना पत्र मिलने के बाद पहली या दूसरी सुनवाई पर समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब उस पर कोई परिचय नहीं लगाया जायेगा। 2. यदि अभियुक्त पहली या दूसरी सुनवाई तिथि के बाद विचारण न्यायालय में समझौता आवेदन लगाता है तो उस पर चैक की राशि का दस प्रतिशत परिचय लगाया जा सकेगा। <p>उक्त परिचय जिस स्तर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाना होता है। लेकिन न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कारण लिखते हुए उक्त परिचय कम कर सकती है।</p> <p>"Caselaw:- Madhya Pradesh State Legal Services Authority v. Prateek Jain and another (2014) 10 SCC 690 : 2015 (2) MPLJ 104 : JT 2014 (10) SC 413 में लोक अदालत में</p>	    

Date of
Order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer
हुए राजीनामे को सद्भाविक आचरण को देखते हुए परिव्यय राशि को
अधिरूपित किए जाने हेतु निर्देश दिया गया है।

Signature
Parties or
Pleadings where
necessary

उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस प्रकरण को देखने से यह दर्शित है कि प्रकरण दिनांक 17.11.15 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें दिनांक 22.02.16 को अभियुक्त उपस्थित हो गया। अभियुक्त की पुत्री की तबियत खराब होने का कारण बताया गया है। परिवादी द्वारा भी इसी आधार पर चैक राशि से काम राशि में राजीनामा करना बताया है। मात्र एक लाख रुपये की राशि में राजीनामा करना बताया है। चूंकि प्रकरण अंतिम तर्क पर नियत हो चुका है और पक्षकार सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना हेतु लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। लोक अदालत पीठ सदस्यगण द्वारा भी अनुशंसा सहित अभियुक्त पर परिव्यय राशि को कम किए जाने के लिए न्यायोचित आधार माना है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में अभियुक्त से राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। साथ ही परिव्यय राशि चैक राशि के दस प्रतिशत से न्यून कर 5 हजार रुपये के रूप में आदेशित किए जाने हेतु उचित आधार पाया जाता है। अतः यदि अभियुक्त 5 हजार रुपये की राशि परिव्यय के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए तो राजीनामा स्वीकार किया जावे।

5 हजार रुपये की राशि जमा करने के उपरांत प्रकरण थोड़ी देर बाद पेश हो।



पीठासीन अधिकारी

पुनश्च:

पक्षकार पूर्ववत्।

अभियुक्त के द्वारा रसीद क्रमांक 06 बुक क्रमांक 6888 पर 5 हजार रुपये जमा कर रसीद प्रस्तुत की।

धारा 147 एन0आई0 एक्ट के अधीन राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। अतः बाद तस्दीक राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त अनिल भट्टेले पुत्र वृन्दावन भट्टेले को चैक क्र0 028284 दिनांक 14.09.15 राशि एक लाख पचास हजार रुपये के संबंध में धारा 138 एन0आई0 एक्ट के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

लोक अदालत में राजीनामा संपन्न होने से परिवादी के पक्ष में न्यायशुल्क वापसी हेतु प्रमाण पत्र कलेक्टर को भेजा जावे।

अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)